भारत सरकार

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2038

बुधवार, दिनांक 11 फरवरी, 2026 को उत्तर दिए जाने हेतु

<u>पीएम-कुसुम के अंतर्गत लाभार्थी</u>

2038. श्री लुम्बाराम चौधरी:

श्री बिद्युत बरन महतोः क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) के अंतर्गत देश में, विशेषकर जालोर सहित राजस्थान में, सौर पंपों और ग्रिड से जुड़े सौर संयंत्रों की संस्थापना से कुल कितने किसान लाभान्वित हुए हैं;

(ख) पीएम-कुसुम के तीनों संघटकों के अंतर्गत अब तक कुल कितनी सौर क्षमता संस्थापित की गई है; और

(ग) क्या सरकार ने देश में, विशेषकर जालोर और सिरोही सहित राजस्थान में, प्रक्रियाओं को सरल बनाने और लघु एवं सीमांत किसानों की भागीदारी बढ़ाने हेतु कदम उठाए हैं, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क) दिनांक 31.01.2026 की स्थिति के अनुसार, पीएम-कुसुम योजना के विभिन्न संघटकों के अंतर्गत 23.14 लाख से अधिक किसान लाभान्वित हुए हैं।

राजस्थान राज्य के लिए राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों (एसआईए) द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, इस योजना के तहत राज्य के 2.76 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं, जिनमें जालोर जिले के 17,029 लाभार्थी किसान शामिल हैं।

(ख) दिनांक 31-01-2026 की स्थिति के अनुसार, पीएम कुसुम योजना के सभी तीन संघटकों के अंतर्गत कुल 11,670 मेगावाट की स्थापना की गई है।

(ग) मंत्रालय ने प्रक्रियाओं को सरल बनाया है और योजना के कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए दिनांक 17.01.2024 को व्यापक संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं। योजना दिशानिर्देश यह अनिवार्य करते हैं कि, लघु और सीमांत किसानों तथा सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों का उपयोग करने वाले किसानों को प्राथमिकता दी जाए।

पीएम कुसुम योजना की पहुंच बढ़ाने के लिए, मंत्रालय द्वारा समय-समय पर व्यापक पहुंच और क्षमता निर्माण कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं। इसमें जयपुर सहित राज्यों के जनप्रतिनिधियों के साथ आरई पर क्षेत्रीय कार्यशालाएं शामिल हैं।

राजस्थान के एसआईए द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, योजना के संघटक बी के तहत आवेदन प्रक्रिया के लिए एक राज्य ऑनलाइन पोर्टल, "राज किसान साथी" बनाया गया है। राज्य ने किसानों के लिए 0.4 हेक्टेयर की न्यूनतम भूमि स्वामित्व की आवश्यकता को भी अधिसूचित किया है, और राज्य के अधिसूचित आदिवासी क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के किसानों के लिए, भूमि स्वामित्व की न्यूनतम सीमा 0.2 हेक्टेयर है। इसके अलावा, सौर विद्युत पंप सेटों की स्थापना केवल कुओं और ट्यूबवेलों पर ही नहीं, बल्कि किसानों के कृषिगत तालाब/पानी की टंकी/डिग्गी पर भी की जा सकती है।

*****